2021/168

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

तहसीलदार बाड़मेर बनाम ....राजस्थान सरकार.............................

किस्म मुकदमा – रास्तो का निराकरण 136 RLR Act मुकदमा संख्या 239/वर्ष 2021

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02.11.2021	राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6)विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं प.3(17)राज–6/2021पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 की पालना में सार्वजनिक रास्ता राजकीय भूमि/निजी खातेदारी की भूमि में मौके पर स्थाई रूप में चालू (कदीमी) परन्तु राजस्व अभिलेख में किसी रूप में दर्ज नही है को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक शिविर/2021/01 दिनांक 02.11.2021 के द्वारा मौजा आदर्श ढूण्ढा में निम्नानुसार भूमि में स्थाई रास्ते के रूप में खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त हुआ हैः–	

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	कुल रकबा (बीघा में)	रास्ते की लम्बाई –चौड़ाई (फीट में)	रास्ते में प्रभावित रकबा (बीघा में)
1	2	3	4	5	6
1	राजस्थान सरकार	1154/181 किस्म बारानी दोयम	1.07 बीघा	1800 x 13	1.07 बीघा

प्रकरणं दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अंकित खसरा में ग्राम आदर्श ढूण्ढा मे चल रहे स्थायी रास्तेे अथवा मुरडिया (कच्ची) सड़क ग्राम आदर्श ढूण्ढा से खसरा नंबर 1155/181 तक जाती है। जिसकी लम्बाई 1800 फीट एवं चौडाई 13 फीट है, जिसपर मुरडिया (कच्ची) सड़क बनी हुई है, जो सलंग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शायी गयी है। लिहाजा राजरव रेकर्ड में सम्बधित पक्षकारान (राजस्थान सरकार) के खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन करावें।

अतः तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा आदर्श ढूण्ढा पटवार मण्डल कवास तहसील एवं जिला बाड़मेर की उपरोक्त वर्णित भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो सलंग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शाई गई है को सम्बधित खातेदार (राजस्थान सरकार) के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश मजमे आम मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(उपखण्ड अधिकारी)
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर